हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

चतुर्थ सत्र

समाचार भाग-1

संख्या: 31

बुधवार, 12 **दिसम्बर**, 2018/21 **मार्गशीर्ष**,1940 (**शक्**)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

समय: 11.00 **बजे** (**पूर्वाह्न**)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, डॉ0 राजीव बिन्दल की अध्यक्षता में 11.00 **बजे पूर्वाह्न आरंभ हुई।**

व्यवस्था का प्रश्न

माननीय अध्यक्ष द्वारा जैसे ही प्रश्नकाल आरंभ होने की घोषणा की गई, श्री जगत सिंह नेगी, सदस्य ने व्यवस्था के प्रश्न का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने नियम-67 के अंतर्गत चर्चा हेतु नोटिस दिया है। इस पर माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित करते हुए निम्नलिखित व्यवस्था दी -

> *"मुझे नियम- 67 के अंतर्गत माननीय सदस्य श्री जगत सिंह नेगी की ओर से एक नोटिस प्राप्त हुआ है। इस नोटिस का मैटर सब-ज्यूडिस है। इस बारे में प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम-69 (8) में उल्लेख है कि 'the motion shall not deal with any matter which is under adjudication by a Court of Law having jurisdiction in any part of India'. अतः मामला सब-ज्यूडिस होगा तो उसे इस नियम के अंतर्गत नहीं उठाया जा सकेगा।"*

माननीय अध्यक्ष की इस व्यवस्था पर कांग्रेस विधायक दल के सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी बात रखने लगे और नारेबाजी करने लगे।

माननीय अध्यक्ष ने सदस्यों को शांत करने की कोशिश की लेकिन सदन में शोरगुल जारी रहा। इस बीच माननीय अध्यक्ष ने प्रश्नकाल आरंभ कर दिया।

1. <u>प्रश्नोत्तर</u>

(i) तारांकित प्रश्न

नारेबाजी के बीच श्री पवन कुमार काजल ने मौखिक उत्तर हेतु लगा उनका स्थगित तारांकित प्रश्न संख्याः 599 नहीं पूछा।

तारांकित प्रश्न संख्याः 934 के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्री द्वारा उत्तर दिए गए।

11.15 बजे अपराह्न कांग्रेस विधायक दल के सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए सदन से बहिगर्मन किया।

माननीय अध्यक्ष ने नेता प्रतिपक्ष एवं कांग्रेस विधायक दल के सदस्यों द्वारा शोरगुल के दौरान की गई टिप्पणियों का संज्ञान लेकर इस बारे में स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा-

"माननीय सदस्य श्री जगत सिंह नेगी जी ने नियम-67 के अंतर्गत जो नोटिस दिया था वह पूरी तरह सब-ज्यूडिस है और मामला सुप्रीम कोर्ट में लम्बित है। हिमाचल प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय में फैसला होने के बाद श्री बालक राम एंड अदर्ज़ सुप्रीम कोर्ट गए और दिनांक 09.02.2016 को हियरिंग पर केस लगा। माननीय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य जजों ने इसके ऊपर यह फैसला सुनाया- Upon hearing the Counsel, the Court made the following order,' Delay condoned, leave granted, operation of the order passed by the High Court shall remain stayed; pending further order from this Court.' इस मामले को माननीय सदस्यों ने नियम-63 के अंतर्गत दिया था और इसी आधार पर इसके टर्न डाउन होने के बाद अब माननीय सदस्य ने नियम-67 के अंतर्गत दिया। माननीय सदस्य हिमाचल प्रदेश विधान सभा के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं और उन्हें नियमों की संपूर्ण जानकारी है। लेकिन इसके बावजूद इस प्रकार का वातावरण तैयार करना पूरी तरह से न्याय के विरुद्ध है। साथ ही अध्यक्ष पीठ के निर्णय के बाद नारे लगाना और पीठ के विरुद्ध नारे लगाना निंदनीय है और उनको एक्सपंज किया जाता है।"

माननीय मुख्यमंत्री ने भी कांग्रेस विधायक दल के इस व्यवहार पर दुःख प्रकट किया और उनके इस व्यवहार को चिंताजनक बताया। इस विषय पर अपनी टिप्पणी देते हुए उन्होंने कहा-

"माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में जब चर्चा होती है और पीठ द्वारा कोई व्यवस्था या निर्णय दिया जाता है तो उसमें यह नहीं देखा जाता कि यह निर्णय किसके पक्ष में और किसके विरुद्ध आया है। वह नियमों के अनुसार दिया जाता है परंतु विपक्ष के लोगों को यह भी स्वीकार नहीं है। इस माननीय सदन में आसन के विरोध में व्यक्तिगत रूप से नाम लेने की परंपरा कभी नहीं रही है। जिस प्रकार से आज विपक्ष के लोगों ने नाम लेकर इस सदन के आसन को अपमानित किया है इसकी मैं घोर निंदा करता हूं।"

माननीय अध्यक्ष ने पुनः स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा-

"एक विषय मैं माननीय सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं। नेता प्रतिपक्ष ने बार-बार कहा कि हमारे नोटिस कार्यसूची में नहीं लगाए गए। जितने भी प्रश्न विपक्ष की तरफ से या जिस भी विधायक के आए हैं, वे हमने सारे-के-सारे सरकार को उत्तर के लिए भेजे और 6 दिन में सारे-के-सारे सौ प्रतिशत प्रश्न लगाए हैं। पिछले कल सारा दिन जो चर्चा हुई, माननीय श्री जगत सिंह नेगी जी ने उसकी शुरूआत की थी; नियम-130 के अन्तर्गत उन्हीं का नोटिस था। मैंने विधान सभा का पुराना रिकॉर्ड देखने का प्रयास किया। 'विधायकों को नाम पट्टिका के ऊपर लिखने की इजाज़त होनी चाहिए', इसको लेकर नियम-130 के अंतर्गत तीन बार माननीय सदस्यों ने, जो भी पूर्व में अध्यक्ष रहे हैं, उनको अपनी ओर से नोटिसिज़ दिए परन्तु कभी भी इस सदन में इस विषय के ऊपर किसी भी अध्यक्ष ने चर्चा को अनुमति प्रदान नहीं की। यह पहला अवसर है जब हमने इस चर्चा को अनुमति प्रदान की और इस चर्चा में 24 माननीय सदस्यों ने भाग लिया और जो उनको उचित लगा, वह बात उन्होंने यहां रखी। अब मैं पूरी तरह सदन के ध्यान में लाने के लिए टोटल नोटिसिज़ जो मेरे पास आज तक आए हैं, उनका ब्यौरा दे रहा हूं जिससे सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। नियम-62 के अंतर्गत हमारे पास जो नोटिसिज़ आए हैं उसमें श्री होशयार सिंह जी, श्री राकेश जम्वाल जी, कर्नल इन्द्र सिंह जी, श्री जीत राम कटवाल जी, श्री राकेश सिंघा जी, श्री जगत

सिंह नेगी जी और श्री राकेश जम्वाल जी के कुल सात नोटिस हैं। श्री सिंघा जी यहां बैठे हैं और एक नोटिस पिछले कल श्री जगत सिंह नेगी का आया है। नियम-62 के अंतर्गत मेरे पास ऐसा कोई नोटिस पैंडिंग नहीं है जो प्रतिपक्ष की ओर से आया हो। श्री राकेश सिंघा जी के नोटिस का जवाब मैंने उनको दिया है और हम उसको लगा रहे हैं। नियम-63 के अंतर्गत एक नोटिस श्री मुकेश अग्निहोत्री जी का हमारे पास आया है जो हमने सरकार को जवाब के लिए भेजा है। उसमें अभी हमारे पास 3 दिन बचे हैं। नियम-130 के अंतर्गत श्री जगत सिंह नेगी जी का नोटिस था जिसके ऊपर पिछले कल चर्चा हो गई है। इसी तरह से नियम-130 के तहत श्री होशयार सिंह जी के नोटिस पर आज चर्चा होनी है। श्री राकेश पठानिया और श्री रमेश चंद ध्वाला जी के नोटिस पर चर्चा हो चुकी है। अगला नोटिस भी श्री राकेश पठानिया जी द्वारा दिया गया है जो आज लगा है। इसी तरह से एक नोटिस नियम-130 के अंतर्गत श्री राकेश जम्वाल जी का है। नियम-130 के अंतर्गत श्री बलबीर सिंह, श्री बिक्रम सिंह जरयाल, श्री परमजीत सिंह और श्री राकेश पठानिया जी ने नोटिस दिया है जिसके अंतर्गत आज नशे के विषय पर चर्चा होनी है। फिर नियम-130 के तहत एक नोटिस श्री सुरेश कश्यप और श्री सुखराम जी का आया है और एक श्री रमेश चंद ध्वाला जी का नोटिस आया है। नियम-130 के तहत प्रतिपक्ष का एक भी नोटिस हमारे पास पैंडिंग नहीं है। फिर आसन को यह कहना कि हमारे विषय नहीं लगाए जा रहे हैं, यह अत्यन्त गम्भीर आरोप है जबकि उनकी ओर से कोई नोटिस ही नहीं आया है। ..... इसके अलावा कल नियम-101 के तहत विषयों पर चर्चा होनी है जिसके नोटिस श्री सुन्दर सिंह ठाकुर, श्री अनिरूद्ध सिंह, श्री राजिन्द्र गर्ग और श्री राकेश सिंघा जी द्वारा दिए गए हैं। ये चारों नोटिसिज कार्य सलाहकार समिति में स्वीकार कर लिए गए हैं और कल इनके ऊपर चर्चा दे दी गई है। नियम-101 का एक नोटिस जो पिछली बार से कैरी फॉरवर्ड है वह श्री बलबीर सिंह जी का है और उसके ऊपर भी कल चर्चा होगी। इसके बाद केवल नियम-324 के नोटिसिज हैं जिनके उत्तर परसों इस सदन के अंदर रखे जाएंगे। एक नोटिस नियम-63 के अन्तर्गत प्रतिपक्ष का आया है जिसका जवाब सरकार से आना है, उसके बाद उसको चर्चा के लिए रखा जाएगा। इसके अलावा प्रतिपक्ष का कोई नोटिस नहीं आया है। जब मेरे पास प्रतिपक्ष का नोटिस ही नहीं है और जो नोटिस उन्होंने दिया है वह विषय

उच्चतम न्यायालय में है तो चर्चा लगाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसलिए जिस प्रकार की भाषा इन्होंने प्रयोग की है वह सदन और आसन का जो न्यायपूर्ण रवैया है उसके विपरीत टिप्पणी है जोकि न्यायसंगत नहीं है।"

संसदीय कार्यमंत्री ने इस स्थिति को दुःखद और अशोभनीय घटना बताते हुए निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत किया-

"यह सदन विपक्ष के नेता श्री मुकेश अग्निहोत्री तथा उनके पक्ष के कुछ सदस्यों द्वारा माननीय अध्यक्ष के विरुद्ध नाम लेकर अशोभनीय नारे लगाने व आसन का अपमान करने की घोर निन्दा करता है तथा उनके व्यवहार की भर्त्सना करता है।"

श्री किशन कपूर, माननीय **खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री** तथा श्री नरेन्द्र बरागटा, मुख्य सचेतक ने प्रस्ताव का समर्थन किया।

माननीय अध्यक्ष ने निम्नलिखित टिप्पणी करते हुए प्रस्ताव को आगे न बढ़ाने का निर्णय दिया-

"मुझे लगता है कि आपने विषय रख दिया। अन्य सदस्यों और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपनी बात कह दी। फिर भी हम सब लोग इस सदन के सदस्य है और मैं आशा करता हूं कि good sense will prevail upon; हम इस प्रस्ताव को पारित न करें ऐसी मेरी प्रार्थना है। प्रभु सद-बुद्धि देगा और पुनः हम इस सदन को अच्छे से चलाएंगे। अच्छा होगा कि हम इसको पारित न करें।"

प्रस्ताव वापिस हुआ।

तारांकित प्रश्न संख्याः 935, 936 व 938 कांग्रेस विधायक दल के सदस्यों के बहिगर्मन के कारण नहीं पूछे गए। तारांकित प्रश्न संख्याः 937, 939 व 940 के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्री द्वारा उत्तर दिए गए।

तारांकित प्रश्न संख्याः 941 से 985 तक के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गए।

(ii) **अतारांकित प्रश्न**

अतारांकित प्रश्न संख्याः 210 से 224 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. <u>कागज़ात सभा पटल पर</u>

श्री महेन्द्र सिंह, **माननीय सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मन्त्री** ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश उद्यान उपज़ विपणन एवं विधायन निगम सीमित का 43वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2016-17 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखी।

श्रीमती सरवीन चौधरी, **माननीय शहरी विकास मन्त्री** ने हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 161(3) तथा हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1994 की धारा 255(1) के अन्तर्गत 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए शहरी स्थानीय निकायों के लेखाओं के वार्षिक निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रति सभा पटल पर रखी।

3. <u>सदन की समितियों के प्रतिवेदन</u>

श्री राकेश पठानिया, सदस्य, लोक लेखा समिति ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी:-

(i) समिति का 20वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2007-08 (सिविल/राजस्व प्राप्तियाँ) पर आधारित तथा राजस्व विभाग से सम्बन्धित है;

(ii) समिति का 21वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2009-10 (राज्य के वित्त/राजस्व क्षेत्र) पर आधारित तथा पशुपालन विभाग से सम्बन्धित है;

(iii) समिति का 22वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2010-11 (राज्य के वित्त) पर आधारित तथा पशुपालन विभाग से सम्बन्धित है;

(iv) समिति का 23वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2011-12 (राज्य के वित्त/सामाजिक सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्र/राजस्व क्षेत्र) पर आधारित तथा पशुपालन विभाग से सम्बन्धित है;

(v) समिति का 24वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2011-12 (राज्य के वित्त) पर

आधारित तथा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग से सम्बन्धित है;

(vi) समिति का 25वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 (राज्य के वित्त/राजस्व क्षेत्र) पर आधारित तथा पशुपालन विभाग से सम्बन्धित है;

(vii) समिति का 26वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 (राज्य के वित्त) पर आधारित तथा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग से सम्बन्धित है;

(viii) समिति का 27वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2015-16 (राज्य के वित्त) पर आधारित तथा सचिवालय प्रशासन विभाग से सम्बन्धित है;

(ix) समिति का 28वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2014-15 (राज्य के वित्त) पर आधारित तथा युवा सेवाएं एवं खेल विभाग से सम्बन्धित है;

(x) समिति का 29वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2015-16 (राज्य के वित्त/सामाजिक सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्र) पर आधारित तथा युवा सेवाएं एवं खेल विभाग से सम्बन्धित है;

(xi) समिति का 30वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा)जोकि समिति के 172वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा)(वर्ष 2008-09) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा उद्योग विभाग से सम्बन्धित है; और

(xii) समिति का 31वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 173वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा)(वर्ष 2009-10) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा उद्योग विभाग से सम्बन्धित है।

श्री हीरा लाल, सदस्य, लोक उपक्रम समिति ने समिति के 9वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा)(वर्ष 2013-14) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बने 31वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा)(वर्ष 2014-15) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम सीमित से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

श्री बलबीर सिंह, सभापति, मानव विकास समिति ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी:-

(i) समिति का नवम् कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा)जोकि समिति के 24वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2017-18) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति का दसवां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 25वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2017-18) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा युवा सेवाएं एवं खेल विभाग से सम्बन्धित है।

4. <u>नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव</u>

श्री जीत राम कटवाल, माननीय सदस्य ने झण्डूता विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में निर्माणाधीन फोरलेन परियोजना से स्थानीय जनता को हो रहे नुकसान व असुविधा" से उत्पन्न स्थिति की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

माननीय मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

5. <u>विधायी कार्य</u>

सरकारी विधेयकों की पुर:स्थापना

(i) **श्री जय राम ठाकुर**, **माननीय मुख्य मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 12) को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 12) पुर:स्थापित हुआ।

(ii) **श्री जय राम ठाकुर**, **माननीय मुख्य मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 13) को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 13) पुरस्थापित: हुआ।

(iii)**श्री जय राम ठाकुर**, **मुख्य मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश निक्षेपकों के हित का (वित्तीय स्थापनों में) संरक्षण संशोधन विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 14) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश निक्षेपकों के हित का (वित्तीय स्थापनों में) संरक्षण संशोधन विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 14) पुरःस्थापित हुआ।

(iv) **श्री वीरेन्द्र कंवर**, **ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश गोवंश संरक्षण और संवर्धन विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 11) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश गोवंश संरक्षण और संवर्धन विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 11) पुरःस्थापित हुआ

6. <u>नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव</u>

(i) श्री राकेश पठानिया, श्री बलबीर सिंह और श्री बिक्रम सिंह जरयाल माननीय सदस्यों ने नियम-130 के अंतर्गत निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत किया एवं चर्चा की -

"प्रदेश की नौजवान पीढ़ी में बढ़ती हुई नशे की प्रवृत्ति को रोकने हेतु यह सदन विचार करे।"

01.00 बजे अपराह्न सदन की बैठक भोजनावकाश के लिए 02.10 बजे अपराह्न तक स्थगित हुई।
02.10 बजे अपराह्न सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष डॉ0 राजीव बिन्दल की अध्यक्षता में पुनः आरंभ हुई।
निम्नलिखित ने नियम-130 के अंतर्गत चर्चा में भाग लिया -

4. श्रीमती कमलेश कुमारी
5. श्री नरेन्द्र ठाकुर
6. श्री राकेश सिंघा
7. श्रीमती रीता धीमान

8. श्री सुभाष ठाकुर
9. श्री किशोरी लाल
10. श्री सुरेन्द्र शौरी

माननीय मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

अध्यक्ष द्वारा सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि "निर्वासित तिब्बतीयन संसद ने हिमाचल प्रदेश विधान सभा के माननीय मंत्रिमण्डल एवं समस्त सदस्यों के सम्मान में 04.00 बजे अपराह्न जलपान का आयोजन किया है। अतः सदन की कार्यवाही समाप्त होने के उपरान्त सभी इस जलपान आयोजन में सम्मिलित हों।"

(ii) **श्री होशयार सिंह**, माननीय सदस्य ने नियम-130 के अंतर्गत निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत किया एवं चर्चा की -

"हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा दिए गये फैसले के अनुरूप पौंग बांध विस्थापितों के पुर्नवास हेतु यह सदन विचार करे।"

(04.45 **बजे अपराह्न सदन की बैठक वीरवार**, **दिनांक** 13 **दिसम्बर**, 2018 **के** 11.00 **बजे पूर्वाह्न तक स्थगित हुई।**)